महा पत्तन न्यास (न्यासी को शुल्क एवं भत्ता का भुगतान) नियम, 1981

सा0का0नि0 134 – जबकि पोत परिवहन एवं सडक परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) सं0 सा0का0नि0 626, दिनांकित : 23 जून,1981, में भारत सरकार की अधिसूचना के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग ।।, धारा 3, उप धारा (i) , दिनांकित : 4 जुलाई, 1981, के पृष्ठ 1559 – 1561 पर , महा पत्तन न्यास अधिनियम, (1963 का 38) की धारा 122 की उप धारा (2) द्वारा आवश्यकतानुसार, महा पत्तन न्यास (न्यासी को शुल्क एवं भत्ता का भुगतान) नियम, 1981 का मसौदा प्रकाशित किया गया था, को सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, पैंतीस दिनों की अवधि समाप्त होने तक, इससे प्रभावित होने वाले सभी संभाव्य व्यक्तियों से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं ;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ, 11 अगस्त, 1981 को सार्वजनिक के लिए उपलब्ध कराए गए थे ;

और जबकि उक्त अवधि समाप्त होने से पहले, जनता से किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं किए गए ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 122 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1 (1) इन्हें , महा पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठक की पद्धति) नियम, 1981 कहे जाएं।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे।

(3) बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान के तहत, ये, कोलकत्ता, मुबंई, मद्रास, कोचिन, विशाखपट्टणम, कान्डला, मुरगांव, पारादीप, तूत्तुक्कुडि, नव मंगलूर एवं नव सेवा के पत्तनों के बोर्ड के न्यासी को लागू होते है।

2 **परिभाषा :** जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो :–

(ए) ''अधिनियम'' का तात्पर्य है, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38)

(बी) इन नियमों में प्रयोग किए गए शब्द एवं भाव, अधिनियम में उनको नियत अर्थ होंगे।

3 **शुल्कों की अदायगी :** अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को छोडकर, बोर्ड के हरेक न्यासी , जहाँ नियुक्त, या कोई अन्य न्यासी, जो सरकार का नौकर है या बोर्ड का नौकर है, निम्न शुल्क के लिए स्वत्वाधिकारी होगा :

(i) बोर्ड की हरेक साधारण या विशेष बैठकों की उपस्थिति के लिए रुपया दो सौ पचास ;

(ii) बोर्ड की विशेष या साधारण बैठक की तैयारी या उसके क्रम में, उसी दिन संपन्न होने वाली समिति की बैठक को छोडकर, किसी भी समिति की हरेक बैठक की उपस्थिति के लिए रुपया एक सौ ;

बशर्ते कि किसी भी केलंडर महीने के दौरान संपन्न होने वाली बोर्ड/एवं/या समितियों की बैठकों के मामले में, किसी भी न्यासी को अदा किए जाने वाले शुल्क की औसत रकम, एक हज़ार रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी : बोर्ड या समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित न्यासी को, इस उद्देश्य के लिए रखे गए पुस्तक या पंजी में अपने नाम का हस्ताक्षर करना होगा।

4 **यात्रा भत्ता का भुगतान :** (1) सभी आउट–स्टेशन न्यासी, उन सभी को छोडकर, जो कि सरकारी नौकर हैं या बोर्ड के नौकर हैं, और बोर्ड या समिति की किसी भी बैठक उपस्थित होते हैं, तो नियम 3 के अधीन देय के अनुसार ऐसे शुल्कों के अलावा, केन्द्र सरकार के अधिकारियों के उच्चतम श्रेणी के लिए लागू यातायात भत्तामान प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2) सभी आउट–स्टेशन न्यासी, उन सभी को छोडकर, जो कि सरकारी नौकर हैं या बोर्ड के नौकर हैं, और बोर्ड या समिति की किसी भी बैठक उपस्थित होते हैं, तो नियम 3 के अधीन देय के अनुसार ऐसे शुल्कों एवं यातायात भत्ता के अलावा, बोर्ड या समिति की बैठक के स्थान एवं मुख्यालय से आने–जाने के लिए निष्पादित यात्रा की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारियों के उच्चतम श्रेणी के लिए लागू दर पर, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

टिप्पणी 1 : दैनिक भत्ता के उद्देश्य के लिए, बोर्ड तथा समिति की बैठक के स्थान और मुख्यालय से निकटतम संभाव्य मार्ग द्वारा यात्रा की अवधि को, यात्रा की अवधि के रूप में माना जाएगा।

टिप्पणी 2 : इस नियम के उद्देश्य के लिए मुख्यालय, न्यासी का सामान्य आवास का स्थान होगा।

5 **न्यासी, जो सरकारी नौकर या बोर्ड के नौकर हैं, को कुछ एक भत्ता का भुगतान**

न्यासी, जो एक सरकारी नौकर या बोर्ड के नौकर हैं और जो बोर्ड या उसकी समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होते हैं, को उनको लागू सर्विस नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में यातायात भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

6 **न्यासी जो सांसद या राज्य के विधायक हैं, को कुछ एक भत्ता का भुगतान :**

नियम 3 व 4 में निहित कुछ भी नहीं है कि , न्यासी, जो कि सांसद या राज्य विधायक हैं, को संसद (अयोग्यता की रोकथाम) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (ए) में परिभाषितानुसार प्रतिपूरक भत्ता को छोडकर, अन्य किसी भी शुल्कों या जैसी स्थिति हो, अन्य भत्ता के अलावा, अगर कोई, जो कि राज्य विधायक हो सकते हैं, तो राज्य विधायक की सदस्यता के अयोग्यता की रोकथाम से संबंधी राज्य में लागू हो रहे किसी भी कानून के अधीन, ऐसी अयोग्यता के बिना रसीदें , के लिए हकदार नहीं होंगे।

7 **रिपील एवं बचत :** इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को या से, अनुलग्नित अनुसूची में उल्लिखितानुसार नियमों को यहाँ या फिर निरस्त किया गया है।

(2) ऐसे रिपील में कुछ भी नहीं है कि उक्त नियमों के अधीन कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई या कोई आदेश किया गया या दिशानिर्देश दिए गए को, इन नियमों के अनुरूप प्रावधान के

अधीन, जैसी स्थिति हो, किया गया , लिया गया , बनाया गया या दिया गया के रूप में समझा जाएगा।

अनुसूची (नियम 7 देखें)

.... क्र0सं0 । नियम के शीर्ष को रिपील किया गया।

....

1 महा पत्तन न्यास (न्यासी को शुल्क एवं भत्ता का भुगतान) नियम, 1964

2 मुरगांव पत्तन न्यास (न्यासी को शुल्क एवं भत्ता का भुगतान) नियम, 1964

3 पारादीप पत्तन न्यास (न्यासी को शुल्क एवं भत्ता का भुगतान) नियम, 1967

4 मुंबई पत्तन के बोर्ड के न्यासी (न्यासी को शुल्क एवं भत्ता का भुगतान) नियम, 1975

5 कोलकत्ता पत्तन के बोर्ड के न्यासी (न्यासी को शुल्क एवं भत्ता का भुगतान) नियम, 1975

6 मद्रास पत्तन के बोर्ड के न्यासी (न्यासी को शुल्क एवं भत्ता का भुगतान) नियम, 1975

7 तूत्तुक्कुडि पत्तन के बोर्ड के न्यासी (न्यासी को शुल्क एवं भत्ता का भुगतान) नियम, 1979

8 नव मंगलूर पत्तन के बोर्ड के न्यास (न्यासी को शुल्क एवं भत्ता का भुगतान) नियम, 1980

टिप्पणी : प्रमुख नियमों को भारत के राजपत्र में, सा0का0नि0 134 (असा0), दिनांकित 28 जनवरी 1982 को प्रकाशित किए गए थे और सा0का0नि0 797(असा0), दिनांकित 18.7.1988, सा0का0नि0 635(असा0), दिनांकित 15.10.1991 एवं सा0का0नि0 70(असा0), दिनांकित 11 जनवरी, 1997 के जरिए संशोधित किए गए थे।